भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*अतारांकित प्रश्न संख्या 11.*

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**विनिर्माणकारी क्षेत्र हेतु पर्यावरण संबंधी मानदण्ड**

**11. श्री संजय राउत:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में विनिर्माणकारी क्षेत्र हेतु पर्यावरण संबंधी मानक मानदण्ड निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले और मानदण्डों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों की पहचान की गर्इ है; और

(ग) देश में औद्योगिक प्रदूषण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) से (ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अंगीकृत की है । इसमें कहा गया है कि पर्यावरणीय मानकों/प्रतिमानों के निर्धारण में आर्थिक और सामाजिक विकास की वह स्थिति परिलक्षित होनी चाहिए जिसमें वे प्रयुक्त होते हैं । पर्यावरणीय मानकों के निर्धारण में अनेक सरोकार अर्थात् मानव स्वास्थ्य को खतरा, अन्य पर्यावरणीय तत्वों को खतरा, तकनीकी व्यवहार्यता, अनुपालन की लागत और कार्यनीतिक सरोकार शामिल हैं । सरकार ने उद्योगों और प्रक्रियाओं की 105 भिन्न-भिन्न श्रेणियों हेतु स्रोत विशिष्ट बहिस्राव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं । ये मानक समूचे भारत में लागू हैं जिनमें किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ढ़ील नहीं दी जा सकती, बल्कि इन्हें और भी सख्त बनाया जा सकता है ।

महाराष्ट्र में, पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर चीनी और डिस्टिलरी उद्योगों द्वारा अधिक प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है और मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है । अत: मंजूरी की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के उचित प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए चीनी और डिस्टिलरी उद्योगों पर आवश्यक शर्तें लगाने हेतु पृथक कार्य योजना तैयार की गई है । महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) ने चीनी और डिस्टिलरी उद्योगों की प्रभावी निगरानी की है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, बोर्ड ने चूककर्ता इकाइयों के विरूद्ध कार्रवाई की है और वर्ष 2011-12 में 184 उद्योगों को, वर्ष 2012-13 में 320 उद्योगों को और 2013-14 में (अक्तूबर तक) 695 उद्योगों को बन्द करने के निर्देश जारी किए हैं ।

एमपीसीबी ने मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित बैंक गारंटी लागू की है । एमपीसीबी ने मंजूरी प्रदान करते समय महत्वपूर्ण शर्तों को लागू करने और इनका समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन करने हेतु क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण भी अपनाया है ।

\*\*\*\*\*\*\*